

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART – II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, dated the 05th octobe, 2011.

G.S.R. _____ (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely: –

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from 6th October, 2011.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, after Form 23ACA, the following Forms shall be inserted, namely:-

FORM NO. 23AC- XBRL

Form for filing XBRL document in respect of balance sheet and other documents with the Registrar

[Pursuant to section 220 of the Companies Act, 1956 and Companies (Filing of documents and forms in eXtensible Business Reporting Language) Rules, 2011]

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

Authorised capital of the company as on the date of filing (in Rs.)

Number of members of the company as on the date of filing

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3. *Date of balance sheet as at (DD/MM/YYYY)

4. *Whether the attached Balance sheet has been audited by the auditors Yes No

5.(a) *Whether annual general meeting (AGM) held Yes No

(b) If yes, date of AGM (DD/MM/YYYY)

(c) *Due date of AGM (DD/MM/YYYY)

(d) Date of AGM in which accounts are adopted by shareholders (DD/MM/YYYY)

(e) *Whether any extension for financial year or AGM granted Yes No

(f) If yes, due date of AGM after grant of extension (DD/MM/YYYY)

6. *Whether schedule VI of the Companies Act, 1956 is applicable Yes No

7. *Type of Industry

8. *Whether consolidated balance sheet is also being filed Yes No

9.(a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 619(4) of the Companies Act, 1956

Yes No

(b) Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India

(c) Director's reply(s) on comments received from CAG of India

(d) Whether CAG of India has conducted supplementary or test audit under section 619(3)(b)

Yes No

Attachments

- 1. * XBRL document in respect of balance sheet, schedules, notes thereto, director's report and auditor's report
- 2. XBRL document in respect of consolidated balance sheet, schedules, notes thereto, director's report and auditor's report
- 3. Statement of subsidiaries as per section 212 (To be attached in respect of foreign subsidiaries)
- 4. Statement of the fact and reasons for not adopting balance sheet in the annual general meeting (AGM)
- 5. Statement of the fact and reasons for not holding the AGM
- 6. Approval letter for extension of financial year or AGM
- 7. Supplementary or test audit report under section 619(3)(b)
- 8. Corporate governance report, Management discussion and analysis and any other document
- 9. Optional attachment(s) - if any

List of attachments

Verification

- To the best of my knowledge and belief, the information given in the form and its attachments is correct and complete.
- I have been authorised by the Board of directors' resolution number * dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.
- It is confirmed that the attached XBRL document(s) are the XBRL converted copy(s) of the duly signed Balance Sheet and all other documents which are required to be annexed or attached to the Balance Sheet as required under Section 220 of the Companies Act, 1956. It is further confirmed that such document(s) have been prepared using the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in eXtensible Business Reporting Language) Rules, 2011.

To be digitally signed by

Managing Director or director or manager or secretary of the company

*Designation

*DIN of the director or Managing Director; or

Income-tax PAN of the manager; or

Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary

(secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

Certificate

- It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the audited financial statements of

and that all required attachment(s) have been completely attached to this form. It is further certified that the attached XBRL document(s) fairly present, in all material respects, the audited financial statements of the company, in accordance with the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in eXtensible Business Reporting Language) Rules, 2011.

- It is confirmed that the attached XBRL document(s) are the XBRL converted copy(s) of the duly signed Balance Sheet and all other documents which are required to be annexed or attached to the Balance Sheet as required under Section 220 of the Companies Act, 1956.
 - Chartered accountant (in whole-time practice) or Cost accountant (in whole-time practice) or
 - Company secretary (in whole-time practice)
 - *Whether associate or fellow Associate Fellow
 - *Membership number or certificate of practice number

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

FORM NO. 23ACA-XBRL

[Pursuant to section 220 of the Companies Act, 1956 and Companies (Filing of documents and forms in eXtensible Business Reporting Language) Rules, 2011]

Form for filing XBRL document in respect of Profit and Loss account and other documents with the Registrar

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

Authorised capital of the company as on the date of filing (in Rs.)

Number of members of the company as on the date of filing

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

3. *Period of profit and loss account
From (DD/MM/YYYY)
To (DD/MM/YYYY)

4. *Whether consolidated profit and loss account is also being filed Yes No

5. *Whether Schedule VI of the Companies Act, 1956 is applicable Yes No

6. *Type of Industry

7. *Whether the attached annual accounts have been audited by the auditors Yes No

Attachments

- * XBRL document in respect of profit and loss account, schedules and notes thereto
- XBRL document in respect of consolidated profit and loss account, schedules and notes thereto
- Statement of subsidiaries as per section 212 (To be attached in respect of foreign subsidiaries)
- Optional attachment(s) - if any

List of attachments

Verification

- To the best of my knowledge and belief, the information given in the form and its attachments is correct and complete.
- I have been authorised by the Board of directors' resolution number * dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.
- It is confirmed that the attached XBRL document(s) are the XBRL converted copy(s) of the duly signed Profit and Loss account and all other documents which are required to be annexed or attached to the Profit and Loss account as required under Section 220 of the Companies Act, 1956. It is further confirmed that such document(s) have been prepared using the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in eXtensible Business Reporting Language) Rules, 2011.

To be digitally signed by

Managing Director or director or manager or secretary of the company

*Designation

*DIN of the director or Managing Director; or
Income-tax PAN of the manager; or
Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary
(secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/ her income-tax PAN)

Certificate

- It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the audited financial statements of

and that all required attachment(s) have been completely attached to this form. It is further certified that the attached XBRL document(s) fairly present, in all material respects, the audited financial statements of the company, in accordance with the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in eXtensible Business Reporting Language) Rules, 2011.

- It is confirmed that the attached XBRL document(s) are the XBRL converted copy(s) of the duly signed Profit and Loss account and all other documents which are required to be annexed or attached to the Profit and Loss account as required under Section 220 of the Companies Act, 1956.

- Chartered accountant (in whole-time practice) or Cost accountant (in whole-time practice) or Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow Associate Fellow

*Membership number or certificate of practice number

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

[F No 5/18/2005- CL V]

AK Srivastava
Avinash K. Srivastava,
Joint Secretary

Note:- The Principal notification was published vide number G.S.R. 432(E) dated the 18th January, 1986 and last amended vide G.S.R. ____ (E) dated the 23rd September, 2011.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05th अक्टूबर, 2011

सा.का.नि. (अ)—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये 6 अक्टूबर, 2011 को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में, प्ररूप 23कगक के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

**"प्ररूप संख्या 23 कग -
एक्सबीआरएल**

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 एवं कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 के अनुसरण में

तुलना पत्र और अन्य दस्तावेजों की बाबत रजिस्ट्रार के पास एक्सबीआरएल दस्तावेज में प्ररूप फाइल करना

टिप्पण - *चिह्नित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरा जाए।

*फाइल किए जाने की तारीख को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी.....(रु० में)

*फाइल किए जाने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या.....

1 (क) *कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन).....

(ख) कंपनी की वैश्विक - अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....

पूर्व भरे

2. (क) कंपनी का नाम.....

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) *कंपनी ई-मेल आईडी

3. (क) *.....तारीख/मास/वर्ष को तुलन पत्र की तारीख

4. * क्या संलग्न तुलन-पत्र की संपरीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है.....हांनहीं

5.(क) *क्या वार्षिक साधारण अधिवेशन (वासाअ) हुई.....हां.....नहीं

(ख) यदि हां, वासाअ की तारीख.....तारीख/मास/वर्ष

(ग) * वासाअ की नियत तारीख.....तारीख/मास/वर्ष

(घ) वासाअ तारीख जिसमें शेयरधारकों द्वारा खाते स्वीकार किए गए.....तारीख/मास/वर्ष

(ङ) * क्या वित्त वर्ष या वासाअ के लिए कोई विस्तार मंजूर किया गया.....हां.....नहीं

(च) यदि हां, तो विस्तार की मंजूरी के पश्चात वासाअ की नियत तारीख.....तारीख/मास/वर्ष

6. *क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 लागू हैहां.....नहीं

7. उद्योग का प्रकार.....

8. क्या समेकित तुलन-पत्र को भी फाइल किया जा रहा है ० हां ० नहीं

9. (क) सरकारी कंपनी की दशा में क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (भा.नि.औ.म.प.) ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या अनुपूरक बनाया है.....हां.....नहीं

(ख) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों या अनुपूरकों के ब्यौरे उपलब्ध कराएं

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक के उत्तर

(घ) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने धारा 619(3)(ख) के अधीन अनुपूरक या परीक्षण संपरीक्षा कराई है.....हां.....नहीं

संलग्नक

1. तुलन-पत्र, अनुसूचियों, इसके टिप्पण की बाबत एक्सबीआरएल दस्तावेज, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्नक.....करें
2. समेकित तुलन-पत्र, अनुसूचियों, इसके टिप्पण की बाबत एक्सबीआरएल दस्तावेज, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्नक..... करें
3. धारा 212 के अनुसार समनुषंगियों के कथन (विदेशी समनुषंगियों के संबंध में संलग्न किया जाए) संलग्नक..... करें
4. वार्षिक साधारण अधिवेशन (वासाअ) में तुलन-पत्र को स्वीकार न करने के संबंध में तथ्य और कारणों का विवरण संलग्नक..... करें
5. वार्षिक साधारण अधिवेशन न करने के संबंध में तथ्य और कारणों का विवरण। संलग्नक..... करें
6. वित्तीय वर्ष या वार्षिक साधारण अधिवेशन की समय में बढ़ोतरी से संबंधित अनुमोदन पत्र। संलग्नक.....करें
7. धारा 619 (3) के अधीन संपूरक या परीक्षण की संपरीक्षा रिपोर्ट। संलग्नक..... करें

8. कारपोरेट शासन रिपोर्ट, प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण तथा अन्य दस्तावेज संलग्नक.....

9. वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो।

संलग्नक.....

संलग्नकों की सूची

संलग्नक हटाएं

सत्यापन

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है।

मुझे निदेशक मंडल के संकल्प संख्या*.....तारीख*..... (तारीख/मास/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह पुष्टि की जाती है कि संलग्न किए गए एक्सबीआरएल दस्तावेज, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तुलनपत्र की संपरिवर्तित प्रतियां हैं और सभी अन्य दस्तावेज, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अधीन यथा अपेक्षित तुलनपत्र से उपाबद्ध या संलग्न किए जाने की अपेक्षित हैं, यह और पुष्टि की जाती है कि ऐसे दस्तावेजों को कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों की प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 के अधीन यथा अधिसूचित एक्सबीआरएल वर्गीकरण विज्ञान (टेक्सोनामी) का उपयोग करके तैयार किया गया है।

निम्न लिखित के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया जाए

कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

*पदनाम

*निदेशक या प्रबंध निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक का आयकर पैन; या सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या सचिव का आयकर पैन (कंपनी का सचिव जो आईसीएसआईर का सदस्य नहीं है अपना आयकर पैन उल्लिखित कर सकता है/कर सकती है)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संपरीक्षित वित्तीय विवरणों से उपरोक्त विशिष्टियां (संलग्नक सहित) को सत्यापित किया है और

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्रपत्र से ठीक तरह से संलग्न किया गया है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न एक्सबीआरएल दस्तावेज, कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 के अधीन यथा अधिसूचित एक्सबीआरएल वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार सभी तात्विक विषयों में कंपनी की संपरीक्षित वित्तीय कथनों में उचित रूप से उपस्थित है।

यह पुष्टि की जाती है कि सभी संलग्न एक्सबीआरएल दस्तावेज, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तुलनपत्र की संपरिवर्तित की गई प्रति (प्रतियां) हैं और सभी अन्य दस्तावेज, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अधीन यथा अपेक्षित तुलनपत्र से उपाबद्ध या संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)

*क्या सहबद्ध या फेलो है.....सहबद्धफेलो

*सदस्यता संख्या या व्यवसाय संख्या का प्रमाण-पत्र

उपांतरण

जांच प्ररूप

संवीक्षापूर्व

प्रस्तुत

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर करने वाली कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता के कथन के आधार पर लिया गया;"

**"प्ररूप संख्या 23 कगक
एक्सबीआरएल**

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 एवं कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 के अनुसरण में

लाभ और हानि लेखा और अन्य दस्तावेजों रजिस्ट्रार की बाबत के पास एक्सबीआरएल दस्तावेज में फाइल करना

टिप्पण - *चिह्नित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरा जाए।

फाइल किए जाने की तारीख को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी.....(रु० में)

फाइल किए जाने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या.....

1 (क) *कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन).....

(ख) कंपनी की वैश्विक - अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....

2. (क) कंपनी का नाम.....

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

पूर्व भरे

3. *.....तारीख/मास/वर्ष सेतारीख/मास/वर्ष तक लाभ और हानि खाते की अवधि

4. क्या समेकित लाभ और हानि और-लेखा को भी फाइल किया जा रहा है।हां.....नहीं

5. *क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 लागू हैहां.....नहीं

6. *उद्योग का प्रकार.....

7. *क्या संलग्न वार्षिक खाते की संपरीक्षा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है.हां.....नहीं

संलग्नक

1. लाभ और हानि लेखा, अनुसूचियों और इसके टिप्पण की बाबत एक्स.बी.आर.एल. दस्तावेज संलग्न करें.....

2. समेकित लाभ और हानि लेखा, अनुसूचियों और इसके टिप्पण की बाबत एक्स.बी.आर.एल. दस्तावेज संलग्न करें.....

3. धारा 212 के अनुसार सनुषंगियों का कथन


(विदेशी समनुषंगियों के संबंध में संलग्न किया जाए)

संलग्न करें.....

4. वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई है

संलग्न करें.....

संलग्नकों की सूची



संलग्नक हटाएं

सत्यापन

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्ररूप और इसके साथ संलग्न किए गए संलग्नकों में दी गई सूचना सत्य और पूर्ण है।

मुझे निदेशक मंडल के संकल्प संख्या*.....तारीख*..... (तारीख/मास/वर्ष) के द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह पुष्टि की जाती है कि संलग्न किए गए एक्सबीआरएल दस्तावेज, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लाभ-और हानि लेखा की संपरिवर्तित प्रतियां हैं और सभी अन्य दस्तावेज, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अधीन यथा अपेक्षित लाभ हानि से उपाबद्ध या संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, यह और पुष्टि की जाती है कि ऐसे दस्तावेजों को कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 के अधीन यथा अधिसूचित एक्सबीआरएल वर्गीकरण विज्ञान (टेक्सोनोमी) का उपयोग करके तैयार किया गया है।

निम्न लिखित के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया जाए

कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

.....

*पदनाम

*निदेशक या प्रबंध निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक का आयकर पैन; या सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या सचिव का आयकर पैन (कंपनी का सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है अपना आयकर पैन उल्लिखित कर सकता है/कर सकती है)

प्रमाण-पत्र

*यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संपरीक्षित वित्तीय विवरणों से उपरोक्त विशिष्टियां (संलग्नक सहित) को सत्यापित किया है और उन्हें सत्य और सही पाया है।

और सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप से ठीक तरह से संलग्न किया गया है। यह और प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न एक्सबीआरएल दस्तावेज, कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 के अधीन यथा अधिसूचित एक्सबीआरएल वर्गीकरण विज्ञान (टेक्सोनामी) के अनुसार सभी तात्विक विषयों में कंपनी की संपरीक्षित वित्तीय कथनों में उचित रूप से उपस्थित है।

यह पुष्टि की जाती है कि सभी संलग्न एक्सबीआरएल दस्तावेज, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित लाभ और हानि की संपरिवर्तित की गई प्रति (प्रतियां) हैं और सभी अन्य दस्तावेज, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अधीन यथा अपेक्षित लाभ और हानि लेखा से उपाबद्ध या संलग्न लेखा किए जाने के लिए अपेक्षित हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या
कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)

*क्या सहबद्ध या फेलो है.....सहबद्धफेलो

*सदस्यता संख्या या व्यवसाय संख्या का प्रमाण-पत्र

उपांतरण

जांच प्ररूप

संवीक्षापूर्व

प्रस्तुत

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर करने वाली कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता के कथन के आधार पर लिया गया;"

[फा. सं. 5/18/2005-सीएल-V]

अ. क. श्रीवास्तव
(अविनाश कु. श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि 432 तारीख 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन सा.का.नि..... तारीख 23 सितंबर, 2011 द्वारा किया गया था।